

PORTAL

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

धामनिया

21/11/2017

22/11/17

मुचडा कांस्ट.माण्डलगढ़-941468849

ता.पेकी स्टैज

26/2/18

960225218

विस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारिख दायर 3	तारिख फैसला 4	फैसला क्रमांक 5
212	78/17	22/9/17	11/6/2018	
			डेपु धामनिया	

अनवान

श्री देवीनाथ व/डेमनाथ श्री देमनाथ व/डालूनाथ जोगी

निवासी धामनिया निवासी धामनिया

C.L. Bhanu

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

डिक्रीदार

रेस्पाडेन्ट / मदयूनान

श्री.....श्री.....

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

माण्डलगढ

किरम मुकदमा

बेनीनाथ
21/2

वनाम

बेनीनाथ
78/17

नं.

78/17

रीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए

22/11/2017

प्रार्थनापत्र सीगे से वाद जौच पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित।
प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की तलबी जरिये
सम्मन मय नकल प्रार्थनापत्र भेज की जावें। पत्रावली वारस्ते
तलबी/जवाब दिनांक 21/11/2017 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

21/11/2017 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित
विपक्षीगणों के सम्मन बाद तामील प्राप्त
हुमे जो खारो धार हुमे गये किमवकी
पीडाकीत अधिकारी मलेदव नीलगाडा
पुन्नाव मिरींग में पधारै पत्रावली वास्त
अहिम अर्पणारी 22/11/2017 को पेश
हो।

22/11/17

पत्रावली प्रस्तुत हुई, अमि वादी प्रतिवादी उपस्थित
गैठारोन अधिकारी 21/11/2017 को पेश है।
पत्रावली वास्त अहिम अर्पणारी दिनांक 26/11/18
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

26/11/18

पत्रावली पेश हुई। अमि माघन प्रार्थी
उपस्थित। विपक्षीगणों के सम्मन 22/11/18
तामील की जाने एवं उनको गैठारोन
स्टेन में विपक्षीगणों के हुकम खारो धार
के माइया मरीत के जाने के पत्रावली
वास्त व हुस उगंग 22/11/2018
को पेश हो।

26/11/18

पत्रावली पेश हुई। अमि माघन प्रार्थी
उपस्थित। विपक्षीगणों के सम्मन 22/11/18
तामील की जाने एवं उनको गैठारोन
स्टेन में विपक्षीगणों के हुकम खारो धार
के माइया मरीत के जाने के पत्रावली
वास्त व हुस उगंग 22/11/2018
को पेश हो।

11/6/2018

पञ्जाबली न्याय आपने हार के पक्षीय दायित्वों पर फेरा दुई। वकील प्राणी उपस्थित। वकील प्राणी कि एकपक्षीय बहस हुनी गई। वकील प्राणी ने बहस में निवेदन कि कि उर्ध्वना पत्र कि चरण सं. 7 के उपचरण अ, ब, स में वर्णित कृषि श्रमि स्थल मोजा दायित्वों में प्राणी के बनने वाले एक हिस्से को विपक्षीगण न हो विक्रय करे न प्राणी को उसकी विधि हिस्से के सीमा तक कायल करने से तभी कि राजस्व सेक्ट कि अपराधिक बनाये शरी इस आशय का आस्थापी निवेधाना डा अंतरिम आदेश प्रदान करने निलाने न कि उरमाया जावे।

वकील प्राणी कि बहस पर मनन हुआ मामला उरमा दुष्टमा प्राणी के पक्ष का बनता है।

अतः प्राणी पत्र अंतर्गत धारा 212 सेक्टि 15 के तहत स्वीकार किया जाका प्राणी पत्र के चरण सं. 7 के उपचरण अ, ब, स में वर्णित कृषि श्रमि स्थल मोजा दायित्वों में विपक्षीगण के विक्रय अंतरिम आस्थापी निवेधाना डा अंतरिम आदेश इस आशय का उरमाया जाका है विपक्षीगण प्रदान करने निलाने न कि प्राणी के बनने वाले हिस्से को एत विक्रय न करे कइजे कायल में प्रबलदांजी नही करे एवं राजस्व सेक्ट कि अपराधिक बनाये नकोगे पञ्जाबली सेक्ट प्रमा के नक्शा से कम को प्राणी पत्र प्रदान करने साध सिंगग रहे।

उपखंड अधिकारी
माण्डलाह